

22.09.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, सुबोध कुमार झा, द्वारा निवेश की गई राशि की परिपक्वता अवधि पूरा होने के बाद भी सहारा इंडिया द्वारा परिपक्वता राशि का भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में रीजनल मैनेजर, मुजफ्फरपुर से प्रतिवेदन की मांग की गई। रीजनल मैनेजर, वर्कर रीजन कार्यालय, आखाराघाट, रोड, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदनानुसार "श्री सुबोध कुमार झा अपने भुगतान के संबंध में बिहार मानवाधिकार आयोग पटना में शिकायत दिनांक-06.03.2020 को किया गया था। जिसका भुगतान किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	रसीद सं०	आई०डी०सं०	भुगतान तिथि	धनराशि	शाखा
01.	71013297025	864432004364	22.08.2020	6911 /—	बैरिया
02.	71025111468	864432004305	22.08.2020	5337 /—	बैरिया
03.	71040929942	864433000209	22.08.2020	2932 /—	बैरिया
04.	71040887611	813252029269	14.08.2020	5810 /—	अधोरिया बाजार

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में रीजनल मैनेजर वर्कर रीजन कार्यालय, आखाराघाट, रोड, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तदनुसार, रीजनल मैनेजर वर्कर रीजन कार्यालय, आखाराघाट, रोड, मुजफ्फरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक